

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
तहसील मुरादाबाद
आवेदन क्र० 171350030025579
प्रमाणपत्र क्र० 042173008101

जारी दिनांक: 26/06/2017



प्रमाणित किया जाता है कि	श्री पुनीत सरन
पुत्र/पुत्री	श्री ओमकार सरन
माता का नाम	श्रीमती कुम्भुम सैनी
निवासी	, जयतीपुर रोड शिव नगर जयतीपुर मुरादाबाद
ग्राम	
तहसील	मुरादाबाद
जिला	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य की सैनी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनीत सरन पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० मी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्चादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १०५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: जगन्नाथ सैनी, के. एण्ड डी. जन सेवा केंद्र
पद: जगन्नाथ सैनी, केन्द्र प्रभारी
स्थान: 44, HANUMAN NAGAR, मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 28/06/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

SUNITA SINGH
Digitally Signed by
SUNITA SINGH
O=TEHSIL OFFICE
GABHANA,
OU="REVENUE
DEPARTMENT,
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 26/06/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा देवार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।